संख्या-782/2023/2244/35-4-2023/35-4099/456/2021

प्रेषक,

जे.एल.यादव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 अगस्त, 2023

विषय: जनपद रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-548/2021/2526/35-4-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा जनपद-रायबरेली की विधानसभा क्षेत्र- रायबरेली सदर में 03 कार्यों हेतु रू0 279.89 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2. जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या-231/त्व0आ0वि0यो0/मार्ग/2022-23, दिनांक-28.03.2023 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक-20.12.2021 में उल्लिखित 03 कार्यों की तालिका में से क्रमांक-1 व क्रमांक-3 पर अंकित कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 30.00 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष रू0 147.17 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए, जनपद-रायबरेली की विधानसभा क्षेत्र- रायबरेली सदर के प्रश्नगत 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 147.17 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतालिस लाख सत्रह हज़ार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(रू0 लाख में)

क्र.	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	नकदिलपुर भीरा गोबिन्दुपर रोड पर रामदास शुक्ला के ट्यूबवेल के पास से चैदोली सोहनाला पुल तक पेंटिंग	72.42	15.00	57.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य।			
2	सूबा का पुरवा (टिकरा) से नकदिलपुर सोहनाला तक पेंटिंग कार्य।	104.75	15.00	89.75
	योग	177.17	30.00	147.17

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाले व्यय रू0 147,17,000/- (रूपये एक करोड़ सैंतालिस लाख सत्रह हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष -5054, सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

जे.एल.यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या-782(1)/2023/2244/35-4-2023/35-4099/456/2021/तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली ।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, रायबरेली ।
14- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे.एल.यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।